

कल्याणकारी उपाय

16

अध्याय



कल्याणकारी उपाय

कोल इंडिया:

1. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए गए नीतिगत निर्णय*

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, सीआईएल द्वारा सीआईएल समान अवसर नीति नामक एक नीति तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगजनों के लिए सभी सुविधाएं, प्रौद्योगिकी, सूचना और विशेषाधिकार सुलभ हों। सीआईएल समान अवसर नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं: —

- i) सुविधा और सुविधाएं – आवश्यकता के अनुसार पहुंच मानक के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा।
- ii) पदों की सूची की पहचान।
- iii) पोस्ट भर्ती और प्री-प्रमोशन प्रशिक्षण।
- iv) स्थानांतरण/पदोन्नति के दौरान पोस्टिंग के स्थान पर वरीयता।
- v) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान।
- vi) आवासीय आवास के आवंटन में वरीयता।
- vii) सहायक उपकरण प्रदान करना – सहायक उपकरण (कम दृष्टि एड्स, बैटरी के साथ श्रवण यंत्र सहित), विशेष फर्नीचर, व्हील चेयर (यदि कर्मचारी द्वारा आवश्यक हो तो मोटर चालित), कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर उनकी दक्षता में सुधार के लिए उनके काम के संबंध में उपयोग के लिए।
- viii) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण मामलों को देखने के लिए संपर्क अधिकारी।
- i) विकलांग लोगों की शिकायतों की देखभाल के लिए

शिकायत निवारण अधिकारी। 10) कार्यस्थल पर पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण:

- क) प्रवेश द्वार पर रैंप
- ख) रेलिंग
- ग) सुलभ शौचालय
- घ) व्हील चेयर
- ङ) लिफ्ट/लिफ्ट

x) यात्रा भत्ता (यात्रा किराया) का भुगतान यात्रा/प्रशिक्षण के दौरान यात्रा के दौरान विकलांग कर्मचारी के साथ जाने वाले परिचारक/अनुरक्षक को किया जाता है।

इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार 2016 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 34 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को खंड (क), (ख), और (ग) के तहत प्रत्येक को 1: और खंड (घ) और (ङ) के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 1: आरक्षण प्रदान किया जा रहा है:

- क) अंधापन और कम दृष्टि
- ख) बहरा और सुनने में कठिनाई
- ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं;
- घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक बीमारी;
- ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत प्रत्येक दिव्यांगता के लिए अभिनिर्धारित पदों में बहरेपन सहित व्यक्तियों में से बहुविध दिव्यांगता।

सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में, 01.01.26 तक कुल 214333 कर्मचारियों में से 758 दिव्यांग कर्मचारी हैं।



विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि, कल्याणकारी गतिविधियों में खर्च की जाने वाली राशि सीआईएल के सभी कर्मचारियों के लिए है, जिसमें बेंचमार्क दिव्यांगजन भी शामिल हैं, जिसमें दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाती है।

2. दिनांक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन:

- 01.01.2026 तक कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नीचे तालिका 2.1 और तालिका 2.2 में दिखाया गया है।

तालिका 2.1 (क)

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल	श्रेणी क (अंधापन और कम दृष्टि)	श्रेणी ख (बहरा और सुनने में कठिन)	श्रेणी ग (लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं।)	श्रेणी घ (बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक अस्वस्थता)	श्रेणी ङ (खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहु-दिव्यांगता)	कुल पीडब्ल्यू बीडी
ईसीएल	45264	15	11	78	0	0	104
बीसीसीएल	30962	17	1	33	0	0	51
सीसीएल	32467	20	8	41	0	0	69
डब्ल्यूसीएल	31468	76	14	102	0	0	192
एसईसीएल	36674	23	26	45	1	0	95
एमसीएल	20705	35	14	80	0	0	129
एनसीएल	12972	10	13	66	0	1	90
सीएमपीडी आईएल	2661	5	3	10	0	0	18
एनईसी	506	0	0	1	0	0	1
सीआईएल (मुख्यालय)	654	3	0	6	0	0	9
कुल	214333	204	90	462	1	1	758

तालिका 2.1 (ख)

समूह	कुल सं.	पीडब्ल्यूबीडी					कुल
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	सामान्य	
क	15014	33	13	69	14	47	176
ख	12648	4	2	11	5	21	43
ग	101410	47	21	93	26	48	235
घ	85261	53	41	116	34	60	304
कुल	214333	137	77	289	79	176	758

3. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन के लिए आरक्षण:

सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के मामले में आरक्षण नीति लागू की जा रही है, जैसा कि राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार नीचे दिखाया गया है:

तालिका 2.2

सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण प्रतिशत:

समूह क और समूह ख पदों के लिए:					
विवरण	अनुसूचित जातियाँ (एससी)	अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)	ओबीसी (ओबीसी)	आनथक :प सेकमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	दिव्यांगजन
खुली प्रतियोगिता के आधार पर अखिल भारतीय अर्थात् लिखित परीक्षा द्वारा	15%	7.5%	27%	10%	4%
खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार अर्थात् लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की गई	16.66%	7.5%	25.84%	10%	4%


समूह ग और समूह घ पदों के लिए:					
विवरण	अनुसूचित जातियाँ (एससी)	अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)	ओबीसी (ओबीसी)	आनथक :प सेकमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	दिव्यांगजन
सीधी भर्ती	राज्य आरक्षण प्रतिशत जिसमें सहायक कंपनी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है।			10%	4%

पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रतिशत:

विवरण	अनुसूचित जातियाँ (एससी)	अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)	दिव्यांगजन
सभी समूहों में पदोन्नति	15%	7.5%	4%
गैर-कार्यपालक से कार्यपालक संवर्ग में विभागीय पदोन्नति/चयन	15%	7.5%	4%

समूह ग और समूह घ के पदों में सीधी भर्ती के लिए एक से अधिक राज्यों में कार्यरत कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के संबंध में एससी/एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा इस मामले पर राष्ट्रपति के निर्देशों द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार है।

एक से अधिक राज्यों में प्रचालित सहायक कंपनियों के संबंध में निर्धारित विधि के अनुसार आरक्षण की सहायक-वार मात्रा और केवल एक राज्य में प्रचालित सहायक कंपनियों के संबंध में राज्य-वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:



कंपनी	राज्य	एससी की % आयु	एसटी की % आयु	ओबीसी की % आयु
बीसीसीएल ईसीएल	<ul style="list-style-type: none"> झारखंड पश्चिम बंगाल 	20	11	19
सीसीएल	<ul style="list-style-type: none"> झारखंड 	12	26	12
सीएमपीडीआईएल	<ul style="list-style-type: none"> झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र ओडिशा 	15	16	19
एमसीएल	<ul style="list-style-type: none"> ओडिशा 	16	22	12
एनसीएल	<ul style="list-style-type: none"> मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश 	20	5	25
एसईसीएल	<ul style="list-style-type: none"> छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल 	19	14	17
डब्ल्यूसीएल	<ul style="list-style-type: none"> महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 	12	13	25
एनईसी	<ul style="list-style-type: none"> असम 	7	12	27

सीआईएल में दिनांक 01.01.2026 तक समूह-वार जनशक्ति और एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	एससी	एससी %	एसटी	एसटी %	ओबीसी	ओबीसी %	ईडब्ल्यूएस	ईडब्ल्यूएस %
क	15014	2513	17%	1079	7%	3765	25%	278	2%
ख	12648	1617	13%	1042	8%	2199	17%	5	0%
ग	101410	16180	16%	12521	12%	19124	19%	166	0%
घ	85261	15041	18%	12113	14%	15307	18%	61	0%
कुल	214333	35351	16%	26755	12%	40395	19%	510	0%

3) डीओपीटी के 24.10.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 41034/5आरएओ22-स्थाई (आरईएस-ए) के अनुसार सरकारी पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य के प्रतिनिधित्व पर डेटा।

1) दिनांक 01.01.2026 तक एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बेंचमार्क दिव्यांगता के संबंध में पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व डेटा:



Company	Group	Total Strength	SC	ST	OBC	EWS	PwBD					Total PwBD
							Category a	Category b	Category c	Category d	Category e (multiple from a to d)	
ECL	A	2101	504	200	457	52	6	3	12	0	0	21
	B	1323	189	65	222	0	0	0	4	0	0	4
	C	16956	3247	1486	1562	5	4	5	34	0	0	43
	D	24884	4293	2506	1237	0	5	3	28	0	0	36
	Total	45264	8233	4257	3478	57	15	11	78	0	0	104
BCCL	A	1792	218	80	480	41	1	0	3	0	0	4
	B	1537	203	103	239	0	0	0	3	0	0	3
	C	16163	3007	2020	2549	0	8	0	19	0	0	27
	D	11470	3144	1243	1442	0	8	1	8	0	0	17
	Total	30962	6572	3446	4710	41	17	1	33	0	0	51
CCL	A	2085	261	169	620	45	15	6	5	0	0	26
	B	1581	200	175	317	0	1	0	4	0	0	5
	C	15502	2254	2525	3261	0	3	2	13	0	0	18
	D	13299	2470	2951	2033	0	1	0	19	0	0	20
	Total	32467	5185	5820	6231	45	20	8	41	0	0	69
WCL	A	1983	434	147	515	29	13	5	12	0	0	30
	B	1803	326	98	693	0	1	0	6	0	0	7
	C	14698	2827	885	5496	39	7	0	30	0	0	37
	D	12984	2036	749	6657	0	55	9	54	0	0	118
	Total	31468	5623	1879	13361	68	76	14	102	0	0	192
SECL	A	2471	448	208	601	32	10	5	16	1	0	32
	B	2658	290	296	353	0	0	1	5	0	0	6
	C	18504	1930	3378	3459	17	5	1	21	0	0	27
	D	13041	1250	3444	2888	0	8	19	3	0	0	30
	Total	36674	3918	7326	7301	49	23	26	45	1	0	95
MCL	A	1738	269	139	455	47	6	3	8	0	0	17
	B	2183	195	143	111	5	0	0	6	0	0	6
	C	9761	1307	816	435	50	13	1	26	0	0	40
	D	7023	1425	900	341	37	16	10	40	0	0	66
	Total	20705	3196	1998	1342	139	35	14	80	0	0	129
NCL	A	1593	217	62	377	31	6	8	16	0	0	30
	B	1236	182	141	194	0	0	0	7	0	0	7
	C	8464	1430	1273	2061	55	1	2	34	0	0	37
	D	1679	301	235	469	24	3	3	9	0	1	16
	Total	12972	2130	1711	3101	110	10	13	66	0	1	90
CMPDIL	A	795	112	43	188	1	2	0	9	0	0	11
	B	163	26	12	53	0	0	1	1	0	0	2
	C	968	158	103	274	0	3	2	0	0	0	5
	D	735	111	78	230	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2661	407	236	745	1	5	3	10	0	0	18
NEC	A	63	14	19	9	0	0	0	0	0	0	0
	B	88	3	9	17	0	0	0	1	0	0	1
	C	255	9	33	24	0	0	0	0	0	0	0
	D	100	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0
	Total	506	31	67	57	0	0	0	1	0	0	1
CIL HQ	A	393	36	12	63	0	2	0	3	0	0	5
	B	76	3	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C	139	11	2	3	0	1	0	0	0	0	1
	D	46	6	1	3	0	0	0	1	0	0	1
	Total	654	56	15	69	0	3	0	6	0	0	9
CIL AS A WHOLE	A	15014	2513	1079	3765	278	61	30	84	1	0	176
	B	12648	1617	1042	2199	5	2	2	39	0	0	43
	C	101410	16180	12521	19124	166	45	13	177	0	0	235
	D	85261	15041	12113	15307	61	96	45	162	0	1	304
	Total	214333	35351	26755	40395	510	204	90	462	1	1	758

नोट: उपरोक्त प्रतिनिधित्व डेटा अनुबंध ८ (डै-मगबमस) में भी संलग्न है।

पीडब्ल्यूबीडी की उप श्रेणियां:

श्रेणी क – अंधापन और कम दृष्टि

श्रेणी ख – बहरा और सुनने में कठिनाई।

श्रेणी ग – सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग का इलाज, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता

श्रेणी घ – बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक अस्वस्थता

श्रेणी ङ – खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहरे-अंधापन सहित कई दिव्यांगता

1) वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां और भरी नहीं गई रिक्तियों सहित कारण:

2) समूह क पदों में भर्ती के संबंध में विवरण:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 15 तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों को कवर करते हुए सीबीटी और जीएटीई दोनों मोड के माध्यम से मैनेजमेंट ट्रेनी (एमटी) भर्ती-2025 को अधिसूचित किया था। इस भर्ती में लागू सरकारी मानदंडों के अनुसार बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए शैतिज आरक्षण शामिल है।

नीचे दी गई तालिका समूह 'क' पदों के लिए दिनांक 01.01.2026 को अधिसूचित रिक्तियों और वास्तविक रूप से कार्यभार



ग्रहण करने भर्ती प्रक्रियावार विवरण प्रस्तुत करती है। वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और आंकड़े उक्त तारीख तक स्थिति का संकेत देते हैं।

1) 06 विभिन्न विषयों में जीएटीई-2024 स्कोर के आधार पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की खुली भर्ती।

भर्ती प्रक्रिया	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	एससी	एसटी	कुल	पीडब्ल्यूबीडी
कुल रिक्ति (बैकलॉक सहित)	190	43	204	131	72	640	51
बैकलॉग	-	-	80	64	38	182	23
कार्यभार ग्रहण करना	122	30	99	57	38	346	10
वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रक्रिया							

2) 09 विभिन्न गैर-तकनीकी विषयों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से प्रबंधन प्रशिक्षुओं की खुली भर्ती

भर्ती प्रक्रिया	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	एससी	एसटी	कुल	पीडब्ल्यूबीडी
कुल रिक्ति (बैकलॉक सहित)	147	33	110	69	75	434	44
बैकलॉग	---	---	13	15	48	76	29
कार्यभार ग्रहण करना	79	18	62	36	28	223	20
वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रक्रिया							

गैर-कार्यपालक कैडर कर्मचारियों के लिए समूह ख/ग/घ पदों में सीधी भर्ती के संबंध में विवरण:

सहायक कंपनी	भर्ती का प्रकार	अवधि	समूह	पदनाम और ग्रेड	विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या	भरी गई रिक्तियों की संख्या कुल	भरी नहीं गई रिक्तियों की संख्या कुल	रिक्तियों के कारण
बीसी. एल	विशेष भर्ती अभियान	01.04.2025 - 31.12.2025	ग पद	जूनियर ओवरमैन, टीएंडएस ग्रेड ग	77 (एससी-10 एसटी-62 ओबीसी/ एनसीएल-5)	76 (एससी-10 एसटी-61 ओबीसी/ एनसीएल-5)	1 (एसटी)	सत्यापन के दौरान संबंधित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया
एनसीएल	प्रत्यक्ष भर्ती	01.04.2024 - 31.03.2025	ग पद	तीन संवर्गों (अर्थात् ईएंडटी; मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) में सहायक फोरमैन प्रशिक्षु टी एंड एस ग्रेड ग	150 (अनारक्षित 67एससी-21 एसटी-28 ओबीसी-एनसीएल-22 ईडब्ल्यूएस-12) समतल पीडब्ल्यूबीडी-4 ईएसएम-12	146 (अनारक्षित-65 एससी-21 एसटी-27 ओबीसी-एनसीएल-21 ईडब्ल्यूएस-12) समतल पीडब्ल्यूबीडी-4 ईएसएम-12	4 (अनारक्षित-2 एसटी-1 ओबीसी-एनसीएल-1)	उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता
		01.04.2025 - 31.12.2025	घ पद	इलेक्ट्रीशियन (प्रशिक्षु) -III फिटर (प्रशिक्षु) -III वेल्डर (प्रशिक्षु) -II	200 (अनारक्षित-15 एससी-30 एसटी-37 ईडब्ल्यूएस-17 ओबीसी-31)	भर्ती प्रक्रियाधीन	भर्ती प्रक्रियाधीन	-

सहायक कंपनी	भर्ती का प्रकार	अवधि	समूह	पदनाम और ग्रेड	विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या	भरी गई रिक्तियों की संख्या कुल	भरी नहीं गई रिक्तियों की संख्या कुल	रिक्तियों के कारण
एसईस. ईएल	प्रत्यक्ष भर्ती	01.04.2024 – 31.03. 2025	ग पद	खनन सरदार, टीएंडएस ग्रेड घ	350 (अनारक्षित.131 एससी-48 एसटी-97 ईडब्ल्यूएस-32 ओबीसी. 1-एनसीएल-42)	345 (अनारक्षित -131 एससी-48 एसटी-92 ईडब्ल्यूएस-32 ओबीसी-एनस. 1-एल-42)	5 (एसटी)	अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया
		01.04.2025 – 31.12.2025						

टिप्पणी:

- एमसीएल: वर्ष 2023 की दिनांक 15.12.2022 की डब्ल्यूपीसी संख्या 24192 द्वारा रोजगार नोटिस संख्या 600 के संबंध में, माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय जारी होने तक जूनियर ओवरमैन, टीएंडएस ग्रेड ग और माइनिंग सरदार, टीएंडएस ग्रेड ग के पद पर 49 सीटें (अनारक्षित -18, ईडब्ल्यूएस-6, एससी-8, एसटी-12, ओबीसी-5) रोक दी गई हैं। परिणामस्वरूप, इस मामले में निर्णय पारित होने के बाद बैकलॉग को हटा दिया जाएगा। उल्लिखित अवधि के दौरान कोई अन्य भर्ती नहीं हुई।
- ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और सीएमपीडीआईएल द्वारा दी गई अवधि में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई।

की नियुक्ति:

- क) एससी, एसटी और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों के संबंध में एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
- ख) ओबीसी के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों के संबंध में ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है ताकि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके। इसी प्रकार, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

3) संपर्क अधिकारियों का विवरण:

सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में संपर्क अधिकारी

एससी/एसटी/दिव्यांगजनों के लिए संपर्क अधिकारी का विवरण

सहायक कंपनी	संपर्क अधिकारी का नाम, जाति और पदनाम	संपर्क अधिकारी (एलओ)
ईसीएल	श्री राहुल कुमार मंडल, वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर), एससी	संपर्क अधिकारी-एससी/एसटी/ दिव्यांगजन
बीसीसीएल	श्री दिलीप कुमार भगत, मुख्य प्रबंधक (एचआर), एसटी	
सीसीएल	श्री मनीष कोंगरी, प्रबंधक (एचआर), एसटी	
डब्ल्यूसीएल	श्री अतुल बंसोड, प्रबंधक (एचआर), एससी श्रीमती रश्मि सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर)	संपर्क अधिकारी-एससी/एसटी संपर्क अधिकारी- दिव्यांगजन



सहायक कंपनी	संपर्क अधिकारी का नाम, जाति और पदनाम	संपर्क अधिकारी (एलओ)
एसईसीएल	श्रीमती दीपिका वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर), एससी श्री मनीष जूलियट, प्रबंधक (एचआर), एसटी श्री शैलेश चक्रवर्ती, एसओई (सिविल)	एलओ-एससी एलो-एसटी एलओ-दिव्यांगजन
एमसीएल	श्री सुशील कुमार बेहरा, वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर), एससी	संपर्क अधिकारी- एससी /एसटी/दिव्यांगजन
एनसीएल	श्री समीर बारला, महाप्रबंधक (एचआर), एसटी	
सीएमपीडी आईएल	श्री जीवन दास, वरिष्ठ प्रबंधक (खनन), एससी श्रीमती ममता टोप्पो, मुख्य प्रबंधक (पी), एसटी डॉ. ओम प्रकाश लोहरा, वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर)	एलओ-एससी लो-एसटी एलओ-दिव्यांगजन
एनईसी	श्री सांतोनु हजारिका, उप प्रबंधक (सीडी, एससी)	संपर्क अधिकारी- एससी /एसटी/दिव्यांगजन
सीआईएल (मुख्यालय)	श्री पीयूष चावला, प्रबंधक (एचआर), एससी	

संपर्क अधिकारियों (ओबीसी) का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सहायक कंपनी	नाम	पदनाम
ईसीएल	श्री पार्थ देव महतो	प्रबंधक (एचआर)
बीसीसीएल	श्री मनीष चंद्र साहू	प्रबंधक (एचआर)
सीसीएल	श्री शफीक टीएम	प्रबंधक (एचआर)
डब्ल्यूसीएल	श्री श्रीधर चेराला	प्रबंधक (एचआर)
एसईसीएल	श्रीमती पूजा रानी	प्रबंधक (एचआर)
एमसीएल	श्री बंटी कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक (प्रणाली)
एनसीएल	मोहम्मद शहबाज	प्रबंधक (एचआर)
सीएमपीडी आईएल	श्री प्रमोद कुमार	महाप्रबंधक (खनन)
एनईसी	श्री आशीष चंदा	उप प्रबंधक (उत्खनन)
सीआईएल (मुख्यालय)	श्री संजय कुमार	प्रबंधक (एचआर)

संपर्क अधिकारियों (ईडब्ल्यूएस) का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सहायक कंपनी	नाम	पदनाम
ईसीएल	श्री राहुल कुमार मंडल	प्रबंधक (एचआर)
बीसीसीएल	सुश्री स्वेता सुभाषिनी	प्रबंधक (एचआर)
सीसीएल	सुश्री कुमारी वंदना	प्रबंधक (एचआर)
डब्ल्यूसीएल	श्री जैनेंद्र चिकाने	उप प्रबंधक (एचआर)
एसईसीएल	सुश्री पूजा रानी	प्रबंधक (एचआर)
एमसीएल	श्री सौमित सेनापति	उप प्रबंधक (एचआर)
एनसीएल	श्री राधा कृष्ण सेठ	उप प्रबंधक (एचआर)
सीएमपीडीआईएल	श्री कबीर	वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर)
सीआईएल (मुख्यालय)	सुश्री कांता वर्मा	प्रबंधक (एचआर)

संपर्क अधिकारियों (ईएसएम) का सहायक कंपनी—वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सहायक कंपनी	नाम	पदनाम
ईसीएल	श्री राहुल कुमार मंडल	वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर)
बीसीसीएल	सुश्री स्वेता सुभाषिनी	प्रबंधक (एचआर)
सीसीएल	श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह चौहान	वरिष्ठ प्रबंधक (सुरक्षा)
डब्ल्यूसीएल	लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रांत मल्हान (सेवानिवृत्त)	मुख्य प्रबंधक एचओडी (सुरक्षा)
एसईसीएल	लेफ्टिनेंट कमांडर वी. दक्षिणामूर्ति	उप प्रबंधक (सुरक्षा)
एमसीएल	मेजर राजा पॉल	वरिष्ठ प्रबंधक (सुरक्षा)
एनसीएल	श्री संदीप शाह	प्रबंधक (सुरक्षा)
सीएमपीडीआईएल	मेजर राघवेंद्र सिंह	एचओडी (सुरक्षा)
सीआईएल (मुख्यालय)	मेजर अभिजीत प्रताप सिंह	मुख्य प्रबंधक (सुरक्षा)

4) गठित आरक्षण प्रकोष्ठ का विवरण:

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी प्रत्येक सहायक कंपनी ने संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार भर्ती और पदोन्नति के मामले में आरक्षण नीति का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और संगठन में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक एससी के हितों की देखभाल/सुरक्षा करने के लिए संपर्क अधिकारी की सहायता करने के लिए एक अलग आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी में संपर्क अधिकारी के लिए पर्याप्त स्थान और कर्मचारियों की सहायता के साथ एक अलग प्रकोष्ठ मौजूद है।

संबंधित संपर्क अधिकारी एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए उनके साथ नियमित रूप से संवाद और संचार करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम और दिव्यांगजन श्रेणी के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान किया जाता है और कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए जाति/श्रेणी/धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

आरक्षण नीतियों को पूरा करने के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए कुछ सांकेतिक प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- आरक्षण रजिस्टर/रोस्टर का रखरखाव भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है

जिसे संपर्क अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है।

- समूह क, ख, ग और घ में भर्ती के दौरान, राष्ट्रपति के निर्देशों और भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण के संबंध में उचित जांच और संतुलन सुनिश्चित किया जाता है।
- संपर्क अधिकारी के साथ-साथ एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस, ईएसएम और दिव्यांगजन समुदाय के कर्मचारियों के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा आरक्षण दिशानिर्देशों पर आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- भारत सरकार द्वारा अधिदेशित आवश्यकता के अनुसार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के लिए भर्ती/डीपीसी के लिए चयन समिति में एससी/एसटी समुदाय से संबंधित एक सदस्य प्रतिनिधि को हमेशा नामित किया जाता है। इसी प्रकार, विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती के लिए चयन समिति में ओबीसी समुदाय के एक सदस्य प्रतिनिधि को हमेशा नामित किया जाता है।
- एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम/दिव्यांगजन सहित सभी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं।
- एससी/एसटी/ओबीसी के कर्मचारी संघ के साथ



उनकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

2. एससीसीएल:

1) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए लिए गए नीतिगत निर्णय

डब्ल्यूसीडीएवंएससी विभाग, तेलंगाना सरकार ने जीओएम सं. 10, दिनांक 30.8.2018 को जारी किया जिसमें सीधी भर्ती में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के पक्ष में 4% आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश की सूचना दी गई। इसके बाद, सामान्य प्रशासन (एसईआर.डी) विभाग, तेलंगाना सरकार ने जीओएम सं. 10 दिनांक 30.08.2018 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 में कुछ संशोधन करते हुए दिनांक 22.07.2021 को जीओएम सं. 96 जारी किया।

इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार 2016 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 34 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को खंड (क), (ख), और (ग) के तहत प्रत्येक को 1% और खंड (घ) और (ङ) के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है:

- (क) अंधापन और कम दृष्टि
- (ख) बहरा और सुनने में कठिनाई
- (ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं;
- (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक बीमारी;
- (ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत प्रत्येक दिव्यांगता के

तालिका 2.2 (क)

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल	श्रेणी क (अंधापन और कम -ष्टि)	श्रेणी ख (बहरा और सुनने में कठिन)	श्रेणी ग (लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं।)	श्रेणी घ (बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक अस्वस्थता)	श्रेणी ङ (अंधापन सहित) खंडों (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहु-दिव्यांगता	कुल पीडब्ल्यूडी बीडी
एससीसीएल	40,237	3	7	28	0	0	38

लिए अभिनिर्धारित पदों में बहरेपन सहित व्यक्तियों में से बहुविध दिव्यांगता।

एससीसीएल में दिनांक 01.01.26 तक कुल 40,237 कर्मचारियों में से 38 दिव्यांग कर्मचारी हैं।

2) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन:

उपर्युक्त के अनुसार, एससीसीएल में भर्तियों में 4% (40% से अधिक दिव्यांगता के साथ) के पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों का आरक्षण लागू किया जा रहा है।

1. हाल की अधिसूचना 01/2024 और 02/2024 में दिव्यांग व्यक्तियों (न्यूनतम 40% दिव्यांगता के साथ) में निम्नलिखित सतही पदों के लिए पीडब्ल्यूडी आरक्षण लागू किया गया था।

अधिसूचना संख्या 1/2024:

क्रम संख्या	पद का नाम
1	प्रबंधन प्रशिक्षु (एफ एंड ए), ई -2 ग्रेड
2	कनिष्ठ एस्टेट अधिकारी, ई-1 ग्रेड
3	प्रबंधन प्रशिक्षु (सिविल), ई-2 ग्रेड
4	कनिष्ठ वन अधिकारी, ई-1
5	जीडीएमओ, ई -3 ग्रेड

अधिसूचना संख्या 2/2024:

क्रम संख्या	पद का नाम
1	प्रबंधन प्रशिक्षु (सिस्टम), ई -2 ग्रेड

2. दिनांक 01.01.2026 तक एससीसीएल में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नीचे तालिका 2.2 (क) और तालिका 2.2 (ख) में दिखाया गया है।

तालिका 2.2 (ख)

समूह	कुल सं.	पीडब्लूबीडी				
		एससी	एसटी	बीसी	ओसी	कुल
कार्यकारी	2,328	02	--	--	1	3
एनसीडब्ल्यूए	37,909	06	07	08	14	35
कुल	40,237	08	07	08	15	38

3) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण:

राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के मामले में आरक्षण नीति लागू की जा रही है, जिसे नीचे दिखाया गया है:

तालिका 2.3

सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण प्रतिशत:

कार्यपालक और एनसीडब्ल्यूए संवर्ग दोनों पदों के लिए:					
विवरण	अनुसूचित जातियाँ (एससी)	अनुसूचित जनजातियाँ (एससी)	पिछड़ा वर्ग (बीसी)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	पीडब्लूबीडी
सीधी भर्ती	15%	10%	29%	10%	4%

एससीसीएल में दिनांक 01.01.2026 तक रोल पर पुरुषों की श्रेणियां—वार विवरण नीचे दी गई हैं:

श्रेणियाँ	कार्यपालक	एनसीडब्ल्यूए कर्मचारी	कुल	कुल:
एससी	429	8,995	9,424	23.4%
एसटी	181	3,076	3,257	8.1%
बीसी	1,201	22,267	23,468	58.3%
ओसी	517	3,571	4,088	10.2%
कुल :	2,328	37,909	40,237	

अन्य कल्याणकारी उपाय

- कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों जैसे आवास और स्वच्छता, शैक्षिक, मनोरंजन, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ चिकित्सा सुविधाएं और प्रचलन में आने वाली सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को जारी रखा जा रहा है।
- एचबीएलआईआरएस (हाउस बिल्डिंग लोन ब्याज प्रतिपूर्ति स्कीम) 10 लाख तक का ऋण: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान से लिए गए गृह निर्माण ऋण पर एनसीडब्ल्यूए/कार्यपालकों द्वारा भुगतान

किए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति वर्ष 2018-19 से एससीसीएल द्वारा की जाएगी।

- निःशुल्क बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ क्वार्टर (40242 क्वार्टर) और एनसीडब्ल्यूए कर्मचारियों के क्वार्टरों में एसी सुविधा के लिए निःशुल्क बिजली की आपूर्ति (8307)।
- एनसीडब्ल्यूए कर्मचारियों और अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 से अर्जित लाभ से विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है और वर्ष 2024-25 के लिए, कंपनी ने कुल निवल लाभ (802.40 करोड़) का 34 प्रतिशत का भुगतान किया।

- एनसीडब्ल्यूए कर्मचारियों/कार्यपालक एनसीडब्ल्यूए कर्मचारियों/कार्यपालकों के बच्चों, जिन्होंने ईएएमसीईटी, बिट्स पिलानी, एनआईटी (जेईई-मेन), एनईईटी, एम्स के माध्यम से इंजीनियरिंग/मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया, के लिए / 16,000/- रुपये प्रति वर्ष मेरिट छात्रवृत्ति (लाभार्थियों की संख्या: 183)
- आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश पाने वाले एनसीडब्ल्यूए कर्मचारियों के बच्चों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (लाभार्थियों की संख्या: 49)।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ स्कीम (सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मार्ट मेडिकल कार्ड जारी किए गए) (45813 मेडिकल कार्ड जारी किए गए) (45813 मेडिकल कार्ड जारी किए गए)
- सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम/चिकित्सकीय रूप से अमान्य - अनुकंपा के आधार पर रोजगार /मासिक मौद्रिक मुआवजा/एकमुश्त राशि
- कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार।
- खानों और विभागों में रियायती कैंटीन (कुल कैंटीन: 49, व्यय: 7.00 करोड़)
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल, जूनियर, डिग्री और पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किए गए
- सामुदायिक हॉल (21), मनोरंजन क्लब (36), खेल के मैदान (16), स्विमिंग पूल (16) और बैडमिंटन कोर्ट (15)
- नवीनतम अवसंरचना के साथ खेल सुविधाएं (2025-26 के लिए आवंटित धनराशि: 125.00 लाख)
- प्रति वर्ष 12 रिफिल के लिए एलपीजी प्रतिपूर्ति (प्रति वर्ष 15.00 करोड़ रुपये)
- वर्ष में एक बार अपने प्रमुख धार्मिक त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को वसूली योग्य त्योहार अग्रिम राशि (25000 रुपये प्रत्येक)

- दिवाली त्योहार के दौरान प्रदर्शन से जुड़ी इनाम स्कीम बोनस (103000 रुपये प्रत्येक एनसीडब्ल्यूए कर्मचारी)।
- खान दुर्घटना में मृत एनसीडब्ल्यूए कर्मचारी को मैचिंग ग्रांट (10 लाख) प्राकृतिक मृत्यु: 7.5 लाख

कॉर्पोरेट वेतन पैकेज के माध्यम से बैंकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला दुर्घटना बीमा:

- एससीसीएल ने वर्ष 2022 में एसबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एसबीआई ने एससीसीएल कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ के साथ 40 लाख तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया है।
- एससीसीएल ने एसबीआई/यूबीआई/केनरा/बीओबी/पीएनबी के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं और उन बैंकों ने 1.25 करोड़ (2024 से शुरू) तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज दिया है।
- आज की तारीख (31.12.2025) तक बैंकों ने 38 मामलों में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावों का निपटान किया है और उन्होंने मृत कर्मचारियों के परिवारों को 30 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
- केनरा/बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी ने एससीसीएल कर्मचारियों को समूह सावधि जीवन बीमा कवरेज को क्रमशः 6 लाख/10 लाख/15 लाख तक बढ़ा दिया है। सावधि जीवन बीमा का विस्तार करने के लिए एसबीआई और यूबीआई के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।
- एचडीएफसी और पीएनबी द्वारा ठेका कामगारों के लिए भी दुर्घटना बीमा का विस्तार किया जा रहा है (23000 ठेका कामगारों को कवर किया गया)
- एससीसीएल कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं विकास प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों का प्रचालन कर रही है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किया गया व्यय ₹20.41 करोड़ है।
 - एनआईएम: नरगुंडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
 - एमवीटीसी: खान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र



- टीटीसी: तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र
- यूएमटीआई: भूमिगत मशीनीकरण प्रशिक्षण संस्थान
- एसडीटीसी: कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र
- एससीसीएल ने वित्त वर्ष 25–26 के लिए बोर्ड द्वारा 51.37 करोड़ रुपये की निवल निधि को मंजूरी दी है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने के लिए अनुमोदित बजट की तुलना में वास्तविक व्यय 34.21 करोड़ रुपये है।

वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26	
बजट (करोड़ में)	वास्तविक (करोड़ में)	बजट (करोड़ में)	वास्तविक (01.04.2025 से 31.12.2025 (करोड़ में))
रु.48.74	रु. 41.57	रु. 51.37	रु.34.21

एससीसीएल – चिकित्सा व्यय का अवलोकन

करोड़ों में

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025–26 (31.12.25 जनवरी तक)	2025–26 (31.12.25 तक)
इन हाउस चिकित्सा व्यय	343.32	335.88	367.33	382.85	270.00	400.00
रेफरल और प्रवेश के लिए ऑन रोल व्यय	89.29	77.72	89.40	110.57	73.00	100.00
सीपीआरएमएस (सेवानिवृत्त कर्मचारी)	27.02	72.08	75.99	87.85	67.23	98.44
विशेष दवाएं	7.6	9.13	6.05	4.48	4	8
कुल	467.23	494.81	538.77	585.75	414.23	606.44

एससीसीएल की कल्याणकारी कार्यकलापों का सार इस प्रकार है:

तेलंगाना सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के तहत कर्मचारी कल्याण एससीसीएल की उपलब्धियों की पहचान में से एक रहा है। राज्य गठन के बाद कामगारों के लिए लाभ का शेयर 33% से बढ़कर 34% हो गया, जिससे ₹4,386.34 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ। पहली बार, तेलंगाना सरकार के निर्देशों के अनुसार, निष्पादन वर्ष 2023–24 के लिए प्रति व्यक्ति ₹5,000 की दर से 28,823 ठेका कामगारों को उनके संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से लाभ बोनस वितरित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राशि को बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है।

सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है, और

लाभ बोनस को ठेका कामगारों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। अनुकंपा आधार रोजगार के सरलीकरण से 18,370 परिवार लाभान्वित हुए हैं, और एससीसीएल ने वर्ष 2024 में एडसिल के माध्यम से आयोजित पारदर्शी सीबीटी-आधारित परीक्षाओं के माध्यम से 555 अभ्यर्थियों की भर्ती पूरी की है। अन्य कल्याणकारी पहलों में ब्याज मुक्त आवास ऋण, त्योहार अग्रिमों में वृद्धि, सात क्षेत्रीय अस्पतालों और 21 औषधालयों के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, दुर्घटना बीमा कवर, बाल देखभाल अवकाश और आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति शामिल हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक समग्र रहने का माहौल प्रदान करने के लिए खेल, शैक्षिक, मनोरंजक और आवास अवसंरचना का भी विस्तार किया है।





3) एनएलसीआईएल

कल्याणकारी उपाय

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए एक समान अवसर नीति लागू है, जिसमें कार्यस्थल पर सुलभ और बाधा मुक्त वातावरण, व्हील

चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल शौचालय, सहायक उपकरण प्रदान करना, आवासीय आवास में वरीयता, पोस्टिंग का विकल्प, 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश, भर्ती के बाद प्रशिक्षण, आरक्षित वाहन पार्किंग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत मूल वेतन के 35: की समग्र सीमा के अलावा दिव्यांगजन अधिकाारियों और गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त परिवहन



सहायता प्रति माह की दर से मूल वेतन का 4% यदि वह चार पहिया वाहन का मालिक है और 2% यदि वह 2 पहिया वाहन का मालिक है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड डीओपीएंडटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी के लिए 19-04-2017 से रोजगार में 4% आरक्षण (07-02-1996 से 18-04-2017 तक 3% आरक्षण) का पालन करता है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यबल में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करता है।

30 नवंबर 2024 तक एनएलसीआईएल में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (एचएच, ओएच, वीएच श्रेणी के तहत) का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों के अलावा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा की गई कुछ अन्य पहलें इस प्रकार हैं:

- क. एनएलसी इंडिया लिमिटेड वर्ष 1987 से मानसिक विकलांग विशेष बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्नेहा स्कूल नामक एक डे केयर स्कूल चलाता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संरक्षित स्नेहा अवसर सेवाओं और स्कूल के माध्यम से बच्चों को कला और शिल्प, मोमबत्ती बनाने, पेपर कप / कवर बनाने, बढईगरी, बागवानी, डोरमैट बुनाई आदि जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में स्कूल में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या 82 है, जिनमें से 59 लड़के और 23 लड़कियां हैं।
- ख. एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संरक्षित नेयवेली हेल्थ प्रमोशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी (एनएचपीएसडब्ल्यूएस) नामक सोसायटी के माध्यम

से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विकलांग व्यक्तियों को ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्रों का नियमित वितरण।

- ग. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, दिव्यांगजनों के लिए एक समर्पित खेल सुविधा- "पैरा स्पोर्ट्स ग्राउंड" को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया और प्रचालनात्मक किया गया था और कुल 2,48,000/- रुपये की लागत से खेल सामग्री खरीदी गई थी।
- घ. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मैसर्स एलिम्को के माध्यम से तमिलनाडु, ओडिशा और राजस्थान में 560 वंचित व्यक्तियों को 197 लाख रुपये की कुल परिस्कीम लागत पर कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए गए।

एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण

एनएलसी इंडिया लिमिटेड सीधी भर्ती और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। भर्तियां कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित पद आधारित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अनुसार की जाती हैं।

आरक्षण की मात्रा:

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी सेवाओं और सीपीएसई में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों के लिए समूह क और समूह-ख पदों के लिए आरक्षण का प्रतिशत एनएलसीआईएल में लागू किया जा रहा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी
खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रतिशत	15%	7.5%	27%	10%	4%
खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रतिशत	16.66%	7.5%	25.84%	10%	4%

समूह-ग और समूह-घ पदों के लिए आरक्षण की मात्रा, जो सामान्यतः किसी स्थान या क्षेत्र के अभ्यर्थियों को आकर्षित करती है, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या के

अनुपात के आधार पर तय की जाती है। ऐसे मामलों में, आरक्षण की मात्रा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी



निर्देशों के अनुसार तय की जाती है।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी
तमिलनाडु	19%	1%	27%	10%	4%
राजस्थान	17%	13%	20%	10%	4%
उत्तर प्रदेश	21%	1%	27%	10%	4%
ओडिशा	16%	22%	12%	10%	4%

31 दिसंबर 2025 तक एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कुल जनशक्ति 9760 है और 31 दिसंबर 2025 तक का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

समूह	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का प्रतिनिधित्व (31-12-2025 तक)						
	कुल संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	ईड. ब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	ईएसएम
क	2843	611	320	757	28	41	7
ख	255	41	8	109	9	1	1
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	4375	838	41	1743	2	98	1
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1	0	0	0	0	0	0
घ	2286	523	10	1173	0	77	0
कुल	9760	2013	379	3782	39	217	9

आरक्षण कक्ष:

एनएलसीआईएल में एससी, एसटी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण नियमों/ दिशानिर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारियों के तहत अलग-अलग एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का

लाभ ऐसे लाभों के हकदार सही दावेदारों को मिलना चाहिए; एनएलसीआईएल संबंधित राज्य/जिला अधिकारियों/जिला स्तरीय सतर्कता समिति (डीएलवीसी)/राज्य स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी) के माध्यम से प्रारंभिक नियुक्ति के समय एससी/एसटी/ओबीसी के अभ्यर्थियों की जाति की स्थिति के सत्यापन का ईमानदारी से पालन करता है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में नियुक्त संपर्क अधिकारियों का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	संपर्क अधिकारी का नाम	ईमेल आईडी	पदनाम
एससी	श्री ओ.एस. अरिवु	loscst/nlcindia.in	मुख्य महाप्रबंधक (ई8 ग्रेड)
एसटी	श्री एल. बालाजी मनोहर कुमार	stcell/nlcindia.in	उप महाप्रबंधक (ई7 ग्रेड)
ओबीसी	श्री के. राजकुमार	lo.obc/nlcindia.in	मुख्य प्रबंधक (ई6 ग्रेड)
ईडब्ल्यूएस	श्री एल. बालाजी मनोहर कुमार	bm.kumar.l/nlcindia.in	उप महाप्रबंधक (ई7 ग्रेड)
पीडब्ल्यूडी	श्री एल. बालाजी मनोहर कुमार	bm.kumar.l/nlcindia.in	उप महाप्रबंधक (ई7 ग्रेड)
भूतपूर्व सैनिक	श्री के. वेलावन	velavan.k/nlcindia.in	उप महाप्रबंधक (ई7 ग्रेड)

लोक शिकायत निवारण – अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025

निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायत	जिन्हें अग्रेषित किया गया/किया गया	शिकायतें जिनका निवारण किया गया	लंबित
ऑनलाइन पोर्टल – कोयला मंत्रालय	237	226	11
वीआईपी संदर्भ	234	219	15
मुख्यमंत्री स्पेशल सेल/चेन्नई	94	94	0
जिला कलेक्टर/कुड्डालोर	227	198	29
सीधे सीएमडी को संबोधित / मेल के माध्यम से	43	40	03
कुल	835	777	58

कर्मचारी कल्याण:

(i) शैक्षिक सहायता स्कीम (छात्रावृत्ति) (अप्रैल-2025 से दिसंबर-2025)				
आरक्षण वर्ग	छात्रों की संख्या		स्वीकृत राशि (₹)	
सामान्य श्रेणी	150		24,87,000/-	
ओबीसी	547		1,04,87,000/-	
एससी/एसटी	272		52,12,000/-	
(ii) नकद पुरस्कार (अप्रैल 2025 से दिसंबर-2025)				
शैक्षणिक वर्ष	दसवीं कक्षा		बारहवीं कक्षा	
	छात्रों की संख्या	राशि (₹.)	छात्रों की संख्या	राशि (₹.)
2025	76	38,000/- (76 x 500)	63	63,000/- (63 x 1000)
छात्रों की कुल संख्या	76 + 63 = 139		कुल स्वीकृत राशि: ₹. 1,01,000/- (38,000 + 63,000)	
(iii) मृत्यु राहत कोष (अप्रैल 2025 से दिसंबर-2025)				
लाभार्थियों की कुल संख्या : 42	सेवारत कर्मचारियों के वेतन से वसूल की गई मृत्यु राहत राशि मृतक कर्मचारी के नामिती को देय होगी।			
(iv) पारिवारिक राहत (अप्रैल 2025 से दिसंबर-2025)				
लाभार्थियों की कुल संख्या : 35	पारिवारिक राहत राशि मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को देय है।			